

संख्या:- 972 / चार- 2023 / 2022

लखनऊ : दिनांक 23.03.2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, सन् 1957) कि धारा-3 के साथ पठित प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या-7, सन् 1904) कि धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल की अधिसूचना सं0-2058/चार-2021 लखनऊ दिनांक 26.10.2021 की पुष्टि करते हैं:-

अनुसूची

क्र 0 स 0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/ स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल एकड़/ हेक्टे0 में	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	महोबा	महोबा महोबा	शिव-ताण्डव	2602	7.285	उत्तर - गाटा सं0 2581 दक्षिण - पहाड़ पूर्व - पहाड़ पश्चिम - लिंक रोड
2	उत्तर प्रदेश	महोबा	चरखारी सालट -	खकरा मठ	670	0.188	उत्तर - गाटा सं0 672 दक्षिण - गाटा सं0 669 पूर्व - मार्ग पश्चिम - गाटा सं0 671

श्री रस्तोगी

Rud

29.03.23

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार)

विशेष सचिव

श्री 34/ज

2

29.3.23

संख्या / () / तददिनांक।

972/चा.2023

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग, पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ।
- 4- मण्डलायुक्त, चित्रकूट धाम।
- 5- जिला मजिस्ट्रेट, महोबा।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोबा।
- 6- अधीक्षण, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उपरोक्त विज्ञापित को उत्तर प्रदेश गजट के आगामी अंक में कृपया प्रकाशित करें।

आज्ञा से,



(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)

अनु सचिव

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या- 7, सन् 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्थिरोपॉल मानूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या- 7, सन् 1904) की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करते हैं -

अनुसूची

क्र०स०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/ स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन ली जाने वाली राजस्व गाटा संख्याएं	क्षेत्रफल एकड़/ हेक्टेयर में	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	उत्तर प्रदेश	महोबा	महोबा	शिव-ताण्डव	2602	7.265	उत्तर-गाटा सं० 2581 दक्षिण-पहाड पूर्व-पहाड पश्चिम-लोक रोड
2-	उत्तर प्रदेश	महोबा	चरखारी साल्ट	खकरा मठ	670	0.188	उत्तर-गाटा सं० 672 दक्षिण-गाटा सं० 669 पूर्व-मार्ग पश्चिम-गाटा सं० 671

सूचना

उपयुक्त अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ यदि कोई हों, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, संस्कृति विभाग, वापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ को सम्बोधित और लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार मेथाम)
प्रमुख सचिव

संख्या:

2058/111-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग, पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे इस अधिसूचना को स्मारक पर या उसके निकट किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाने एवं यदि कोई आपत्ति निर्धारित अवधि में प्राप्त होती है तो उसे शासन को भेजने का कष्ट करें। ।
- 4- मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम।
- 5- जिला मजिस्ट्रेट, महोबा को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त आपत्तियां यदि कोई हो, तो उन्हें अपनी टिप्पणी के साथ शासन को भेजने का कष्ट करें। ।
- 6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोबा।
- 7- अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त विज्ञप्ति को उ०प्र० गजट के आगामी अंक में कृपया प्रकाशित करें।

आज्ञा से,

(विनय श्रीवास्तव)

अनु सचिव

✓